कार्यालय जिला एवं सेशन न्यायाधीश, भीलवाड़ा (राज.)

क्रमांक : 88/स्था/2020 　　　　　　　　　　　　　　　　　दिनांक 15/04/2020

:: आदेश ::

मानननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर ने परिपत्र कमांक 14/पी.आई./20 दिनांक 14.04.2020 द्वारा नोवल कॉरोना वायरस महामारी के संक्रमण से बचाव हेतु दिशा-निर्देश जारी किये है तथा उक्त परिपत्र में दिये गये दिशा-निर्देशों की पालना में भीलवाड़ा जिला न्यायक्षैत्र के लिए दिनांक 15.04.2020 से 03.05.2020 तक कार्यदिवसों हेतु न्यायालयों के पीठासीन अधिकारीगण को अंकित तारीखों के अनुसार उस मुख्यालय पर स्थित न्यायालयों में प्रस्तुत होने वाले अत्यावश्यक मामलों की सुनवाई के लिए इस कार्यालय के आदेश कमांक 87/स्था/2020 दिनांक 14.04.2020 द्वारा अधिकृत किया गया हैं।

श्रीमान् रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, पीठ जयपुर ने जरिये पत्र कमांक RHCB/Reg(C)/Juv.Justice/2020/280 Date 07-04-2020 द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की पालना सुनिश्चित किये जाने हेतु निर्देशित किया हैं। अतः उक्त पत्र में दिये गये दिशा-निर्देशों एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के परिपत्र कमांक 14/पी.आई./20 दिनांक 14.04.2020 की पालना में बालक न्यायालय/ POCSO न्यायालय भीलवाड़ा से संबंधित अत्यावश्यक मामलों की सुनवाई हेतु निम्नांकित न्यायालय के पीठासीन अधिकारी को अंकित तारीखों के अनुसार उस न्यायालय में प्रस्तुत होने वाले अत्यावश्यक मामलों की सुनवाई के लिए अधिकृत किया जाता हैं :-

क. सं.	तिथि	न्यायिक अधिकारी का नाम व पद	न्यायालय की ई-मेल आई डी	फोन नंबर
1	17.04.2020 व 18.04.2020	श्री बन्नालाल जाट, न्यायाधीश, बालक न्यायालय, भीलवाड़ा (विशिष्ठ न्यायाधीश, पोक्सो अधिनियम, संख्या 01, भीलवाड़ा)	pocso1-bhi-rj@hcraj.nic.in	9414373206

नोट :-

1. उपरोक्त न्यायिक अधिकारी उक्त दिवसों में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा जारी परिपत्र कमांक 14/पी.आई./2020 दिनांक 14.04.2020 में वर्णित दिशा-निर्देशों, श्रीमान् रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, पीठ जयपुर के पत्र कमांक RHCB/Reg(C)/Juv.Justice/2020/280 Date 07-04-2020 द्वारा जारी दिशा-निर्देशों एवं पूर्व में जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्य करेंगे।
2. उपरोक्त न्यायालय दोपहर 02:00 बजे से 04:00 बजे तक कार्य करेंगे।
3. व्हाट्स ऐप/स्काइप/वॉयस मेल/अन्य सुविधाजनक माध्यम से वीडियो कान्फ्रेन्सिंग द्वारा केवल अत्यावश्यक मामलों की ही सुनवाई की जावेगी। इस हेतु यदि न्यायालय में All in computer उपलब्ध हैं, उसका भी इस्तेमाल किया जा सकता हैं।
4. नये अत्यावश्यक मामलों का प्रस्तुतीकरण केवल ई-मेल के माध्यम से संबंधित न्यायालय की ई-मेल आई.डी. पर इस शर्त पर किया जावेगा कि नियमित कार्य प्रारंभ होने पर उसकी हार्ड कोपी न्यायालय में प्रस्तुत करेंगे। ऐसे मामलों में प्रस्तुतीकरण करने वाले पक्षकार/अधिवक्ता अपने व्हाटस ऐप नंबर/स्काइप अकाउंट नंबर/ई मेल आई डी अंकित करेंगे अन्यथा इन पर विचार नहीं किया जावेगा।
5. संबंधित न्यायालय उनके न्यायालय के केवल बेहद जरूरी स्टाफ की ही चक्रानुसार ड्यूटी लगायेंगे एवं उनकी बैठक व्यवस्था इस प्रकार की जावे कि इनके मध्य पर्याप्त दूरी रहे।
6. उक्त न्यायालय के पीठासीन अधिकारी एवं स्टाफ मुख्यालय पर ही रहेंगे एवं बिना पुर्वानुमति के मुख्यालय परित्याग नहीं करेंगे तथा अपना फोन चालु रखेंगे व बुलाये जाने पर उपस्थित होंगे।
7. राजकीय अवकाश के दिवसों में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट भीलवाड़ा द्वारा रिमाण्ड ड्यूटी हेतु की गई व्यवस्था के अनुसार संबंधित न्यायालय खुलेंगे।

8. संबंधित न्यायालय के पीठासीन अधिकारी आदेश को उनके द्वारा हस्ताक्षरित किये जाने के पश्चात सी आई एस पर तुरन्त अपलोड किया जाना सुनिश्चित करेंगे।
9. अन्य जानकारी के लिए इस कार्यालय की वेबसाईट https://districts.ecourts.gov.in/bhilwara व ई मेल आई डी dc-bhi-rj@nic.in हैं।

जिला एवं सेशन न्यायाधीश
भीलवाडा

क्रमांक दिनांक 15.04.2020

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्न को प्रेषित हैं :—

1. समस्त न्यायालय भीलवाडा न्यायक्षैत्र
2. सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भीलवाडा
3. अध्यक्ष जिला अभिभाषक संस्था भीलवाड़ा
4. समस्त अभिभाषक संघ भीलवाड़ा न्यायक्षैत्र मार्फत सबंधित न्यायालय
5. जिला कलक्टर भीलवाड़ा
6. जिला पुलिस अधीक्षक भीलवाड़ा
7. प्रभारी अधिकारी बाल सम्प्रेषण गृह पालड़ी
8. कोर्ट मैनेजर जिला न्यायालय भीलवाड़ा
9. सिस्टर ऑफिसर जिला न्यायालय भीलवाड़ा को उक्त आदेश को इस कार्यालय की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु एवं इस न्यायक्षैत्र के समस्त न्यायालयों व अन्य संबंधित को जरिये ई–मेल प्रेषित करने हेतु।

जिला एवं सेशन न्यायाधीश
भीलवाड़ा